

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूजीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/डी.सी.डी.सी./2016/ 3005

दिनांक: 09-06-2016

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त अशासकीय महाविद्यालय,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर


विषय:- परिनियम 28(17) में नियुक्त स्टाफ सम्बन्धी जानकारी।

सन्दर्भ:- म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 1712/उशिवि/प्रसनिका/2016/
भोपाल, दिनांक 02.06.2016

महोदय,

1. म.प्र. शासन से प्राप्त उपरोक्त पत्र के संबंध में समस्त महाविद्यालयों में परिनियम 28(17) के अन्तर्गत 30 जुलाई, 2016 तक अनिवार्य रूप से नियुक्ति करा ली जाए, जिससे शासन को सूचना प्रदान की जा सके।
2. उपरोक्त विषय में समस्त अशासकीय महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि परिनियम 28(17) के अंतर्गत नियुक्त स्टाफ की सूची जो सत्र 2016-17 में कार्यरत है, संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार भरकर रंगीन फोटोग्राफ के साथ डी.सी.डी.सी. कार्यालय में 30 जून, 2016 तक प्रस्तुत करें। जिससे उसको आयुक्त उच्च शिक्षा को भेजा जा सके।
3. महाविद्यालयों में परिनियम 28(17) में स्थाई नियुक्ति नहीं है वे समयावधि से पूर्व नियुक्तियां कराए, न कराने पर म.प्र. शासन उच्च शिक्षा द्वारा जो भी कार्यवाही की जाएगी उसकी जिम्मेदारी स्वयं महाविद्यालयों की होगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार


अधिष्ठाता
9/6/16

महाविद्यालय विकास परिषद

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1712/उशिवि/प्रसनिका/2016/
प्रति,

भोपाल, दिनांक 2-6-16

विषय:- समस्त कुलसचिव,
विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत नियुक्तियां करने के संबंध में।

अशासकीय महाविद्यालयों को निरन्तरता एवं नवीन पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के आवेदनों के परीक्षण के समय यह तथ्य सामने आया है कि कतिपय प्रकरणों में निजी महाविद्यालयों के द्वारा कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत नियुक्तियां करने के लिये समिति गठन का अनुरोध विश्वविद्यालयों को भेजने के पश्चात इन आवेदनों पर समय पर कार्यवाही नहीं होने से कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत समय से नियुक्तियां नहीं हो पाती है।

2/ निजी महाविद्यालय के द्वारा समय पर आवेदन करने के बाद भी समिति गठित न होना अथवा समिति गठन के पश्चात समिति की बैठक न होने के कारण कॉलेज कोड 28 की नियुक्तियां न होने की स्थिति में इसे विश्वविद्यालय की त्रुटि माना जायेगा।

3/ अतः यह निर्देशित किया जाता है कि आपके विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी निजी महाविद्यालयों में कॉलेज कोड 28 से संबंधित समिति का गठन एवं समिति के द्वारा चयन की कार्यवाही दिनांक 31/7/2016 तक पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रेषित करने का कष्ट करें।

4/ कृपया समय सीमा में उपरोक्त कार्यवाही कर चयन समिति गठन के आदेश एवं विश्वविद्यालय से संबंधित निजी महाविद्यालयों के लिये चयनित शिक्षकों की सूची दिनांक 31/7/2016 तक विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।

Ashish
2.6.2016
(आशीष उपाध्याय)
प्रमुख सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

पृ.क्रमांक 1713/उशिवि/प्रसनिका/2016
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 2-6-16

1. समस्त कुलपति, विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल।
3. निज सचिव, भा. मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल।

Ashish
2.6.2016
प्रमुख सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

Sir

शैक्षणिक स्टाफ संक्षेपिका

परिनियम 28(17) के अन्तर्गत नियुक्त किये गये शिक्षकों की सूची

सामान्य पाठ्यक्रम हेतु

SNo.	Namr	Father's Name	10%	12%	UG%	PG%	NET	Ph.D.	Experience	Photo	Sign
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											

Handwritten signature

शैक्षणिक स्टाफ संक्षेपिका

परिनियम 28(17) के अन्तर्गत नियुक्त किये गये शिक्षकों की सूची

बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु

SNo.	Namr	Father's Name	10%	12%	UG%	PG%	B.Ed.* %	M.Ed.* %	NET	Ph.D.	Experience	Photo	Sign
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													

* For Education colleges only.

Handwritten signature

